Regarding request for discussion on a substantive motion on the leader of opposition

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **(**गोड्डा**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 352(5) और 353 के संबंध में एक मोशन के लिए खड़ा हुआ हूँ । (व्यवधान)

<u>17.08 hrs</u>

At this stage, Shri Shafi Parambil, Dr. M. K. Vishnu Prasad, Sushri S. Jothimani and some other hon. Members came and stood on the floor near

the Table.

राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये ... की तरह बिहेव करता है । (व्यवधान) इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है । (व्यवधान) यह वियतनाम, कम्बोडिया, बहरीन, थाईलैंड देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है । (व्यवधान) ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर और कभी स्पीकर पर, सुप्रीम कोर्ट पर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर आरोप लगाता है । (व्यवधान)

आपके माध्यम से, मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी के ऊपर एक सब्सटेंटिव मोशन पर चर्चा होनी चाहिए । उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए । (व्यवधान) वह कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए । इस नियम के तहत मुझे उसकी इजाज़त दी जाए । (व्यवधान)

सभी देशद्रोहियों, जितने भी देशद्रोही हैं, सैम पित्रोदा, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश के ... करना चाहता है । (व्यवधान) ... का नेता यह राहुल गांधी है । (व्यवधान)